उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय , 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी– 05 /वसूली/ओ0टी0एस0/2021–22 दिनांक– 10·06·2021

समस्त प्रभारी/शाखा प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः "एक मुश्त समाधान योजना(O.T.S योजना) 2021"

अवगत है कि पिछले वर्ष से प्रदेश में कोरानो महामारी के कारण प्रदेश के किसानों के समक्ष उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत कृषकगण अपनी देय/बकाया किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कृषक जो लिये गये ऋण की अदायगी समय से नहीं कर पाये है और ब्याज सहित ऋण की राशि में बढोत्तरी हो गयी है, को ब्याज में अधिकाधिक छूट प्रदान कर उन्हे राहत पहुॅचाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वसूली के प्रति प्रोत्साहित/प्रेरित करने, बैंक तरलता बनाये रखने, पुनः ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित में शासन के पत्र सं0–678/49–1–21–6 (32)/13टीसी सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 09 जून 2021 एवं कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 के पत्रॉक–580/ अधि–03(81)/भू0वि0बैंक लखनऊ दिनांक 10 जून 2021 द्वारा प्राप्त स्वीकृति/निर्देश के क्रम में **"एकमुश्त समाधान योजना–2021"** निम्न शर्तो के अधीन लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। **जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।**

"एकमुश्त समाधान योजना–2021"

यह योजना कोविड महामारी के दृष्टिगत बैंक के कृषक बकायेदारों के ब्याज में छूट प्रदान कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त /समृद्ध करने के उद्देश्य से लायी गयी है। इसमें बैंक के ऋणी बकायेदार सदस्यों को वर्गीकृत करते हुये श्रेणीवार लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

पात्रताः–

1. ऐसे बकायेदार कृषक, जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 तक अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है। उनके ऋण की समस्त किश्तें दि0 30.06.2020 तक देय हो चुकी हो एवं दि0 30.06.2020 तक बकायेदार की श्रेणी में आच्छादित हो गये है, उनको योजनान्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।
2. दि0 01.04.2013 एवं उसके पश्चात ऋण लेने वाले ऐसे ऋणी सदस्य जिनकी दि0 30.6.2020 एवं उसके पूर्व मृत्यु हो गयी है, एवं दि0 30.6.2020 को बकायेदार की श्रेणी में आच्छादित हैं, को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।

वर्गीकरणः–

बैंक के कृषक बकायेदारों को निम्नानुसार श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुये लाभ अनुमन्य कराया जायेगाः–

श्रेणी–1:–

दिनांक 31 मार्च, 1997 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में कुल देय मूलधन की शत प्रतिशत वसूली करते हुए उन पर देय समस्त ब्याज माफ किया जायेगा।

श्रेणी–2:–

दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से दिनांक 31 मार्च, 2001 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक बकायेदारों से अवशेष समस्त मूलधन की वसूली की जायेगी व उस पर देय समस्त ब्याज पर छूट का लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराया जायेगा–

(क) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जायेगा।

(ख) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के 50 प्रतिशत से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन/वितरित ऋण राशि के (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुये) 50 प्रतिशत तक के बराबर ब्याज लिया जायेगा।

श्रेणी–3:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से दिनांक 31 मार्च, 2009 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषकों से अवशेष समस्त मूलधन की वसूली की जायेगी व उस पर देय समस्त ब्याज पर छूट का लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराया जायेगा–

(क) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जायेगा।

(ख) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन/वितरित ऋण राशि (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुये) के बराबर ब्याज लिया जायेगा।

श्रेणी 4:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2013 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषकों हेतु छूट अधोलिखित होगी–

(क) बकायेदार कृषकों पर देय समस्त मूलधन की शत–प्रतिशत वसूली की जायेगी।

(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 70 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जायेगी।

श्रेणी 5:–

ऐसे बकायेदार जिनकी समस्त किश्तें दिनॉक 30.06.2020 को बकाया नहीं हुयी है, को भी श्रेणी 04 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जायेगा, कि बकायेदार द्वारा अपने ऋण की बकाया किश्तों एवं आगामी समस्त देय किश्तों का भुगतान करते हुये अपना ऋण खाता बन्द करा दिया जाय।

श्रेणी 6:–

दिनांक 30.06.2020 तिथि को अथवा उससे पूर्व ऋणी सदस्य के मृतक होने की स्थिति में दिनॉक 31.03.2013 तक अथवा उससे पूर्व का ऋण लिये जाने का प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं रहेगा। मृतक बकायेदारों के ऋण प्रकरणों में बकाये की समस्त किश्तों के साथ ही साथ आगामी तिथियों में देय किश्तों का अग्रिम भुगतान किये जाने की दशा में श्रेणी 04 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया जा सकेगा।

योजनान्तर्गत भुगतान के नियम एवं प्रतिबन्धः–

1. उक्तानुसार लागू की जाने वाली योजना का लाभ (बकाया किश्तों एवं आने वाली समस्त किश्तों की सम्पूर्ण अदायगी) ऋण खाता बन्द करने पर ही देय होगा। योजना से आच्छादित पात्र कृषक अपनी सहमति देकर समझौता कर सकेगें।
2. योजना में समझौता करने वाले कृषकों के प्रार्थना–पत्रों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी/शाखा प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। संबंधित प्रभारी/शाखा प्रबन्धक द्वारा कृषकवार ब्याज की छूट का विवरण तैयार कर शाखा पर रखा जायेगा।
3. योजनान्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली ब्याज में छूट की धनराशि को संबंधित शाखा के लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जायेगा।
4. श्रेणी–1 के बकायेदारों को एक बार में सम्पूर्ण धनराशि जमा कर ऋण खाता बन्द करने पर योजना के लाभ की सुविधा प्राप्त होगी।
5. श्रेणी–2, 3, 4, 5 व 6 के पात्र बकायेदारों को योजना का लाभ उठाने हेतु 02 बार में सम्पूर्ण धनराशि जमा(ऋण खाता बन्द) करने पर सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें पात्र कृषक कुल देय धनराशि का न्यूनतम् 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर अपनी सहमति प्रदान कर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अवशेष धनराशि समझौता तिथि से आगामी 45 दिन अथवा योजना समाप्त होने की तिथि दोनों में जो पहले हो तक ही जमा की जा सकेगी। साथ ही ऋण खाता बन्द करने की तिथि तक का अद्यतन ब्याज भी लिया जायेगा।
6. यदि पात्र कृषक समझौते (रजिस्ट्रेशन) के उपरान्त अवशेष धनराशि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अवशेष धनराशि जमा कर ऋण खाता बन्द नहीं करते है, तो पूर्व में जमा की धनराशि उनके ऋण खाते में सामान्य वसूली की तरह समायोजित कर दी जायेगी। यदि पात्र कृषक योजना का लाभ पुनः प्राप्त करना चाहते है तो बिन्दु सं0–5 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।
7. इस योजना के अन्तर्गत स्वतः समझौता करने वाले बकायेदारों से संग्रह शुल्क की वसूली नहीं की जायेगी।
8. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से कृषकों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी दिया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक–सहमति के प्रारूप–1 व 2।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 सभापति प्र0का0 लखनऊ, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक